राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2018

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्रीमती अलका सिंह, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में पीने के पानी की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन

1- श्रीमती किरण माहेश्वरी, उच्च शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 की धारा-25(2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 एवं 2017-2018 सदन की मेज पर रखेंगी ।

2- श्री अजय सिंह, सहकारिता मंत्री राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 54(14) के अन्तर्गत निम्नांकित ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे :-

(I) राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड़,, जयपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट एवं ऑडिट अनुपालना रिपोर्ट वर्ष 2016-2017 ; एवं

(II) दि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड़, जयपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-2017

4. याचिका का उपस्थापन

श्री नाना लाल अहारी, सदस्य, विधान सभा, खेरवाड़ा में राजकीय महाविद्यालय (संस्कृत) खुलवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

5. वित्तीय कार्य

(क) (वर्ष 2014-2015 की अतिरेक मांगों में कोई दत्तमत्त राशि नहीं होने के कारण मांगें मतदान एवं पारण हेतु प्रस्तुत नहीं की जाएंगी)

(ख) **अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2017-2018 (द्वितीय संकलन) पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण**

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2017-2018 (द्वितीय संकलन) मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण हेतु प्रस्तुत की जाएंगी ।

जारी..2..

6. विधायी कार्य

विधेयकों का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण

(1) राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2018

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान विनियोग(संख्या-1) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-1)

"31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2014-2015 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिये स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी ।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान विनियोग(संख्या-2) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-2)

"वित्तीय वर्ष 2017-2018 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी ।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी..3..

7. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-2019

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान

अनुदान की मांग संख्या- 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर विचार एवं मतदान होगा ।

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 27 फरवरी, 2018